न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 468/2016

1. रामजीलाल
2. राजू

पुत्रान पन्नालाल, समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खटवाड़ा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. लल्लूराम पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. गजानन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम खूसर, टोंक रोड़, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.।

3. कैलाश पुत्र पोखर, जाति जाट, निवासी ग्राम खूसर, टोंक रोड, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज.।

4. श्रीमती काली देवी पत्नी श्री लल्लूराम, जाति माली, निवासी ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।

–मुख्य रेस्पोडेंट्स–

5. गणेशनारायण पुत्र श्री बलदेव
6. श्रीमती फूली देवी पत्नी स्व. श्री बलदेव
7. दुर्गालाल पुत्र साईंराम
8. डालूराम पुत्र कालू
9. पन्नालाल पुत्र कालू
10. गोपीराम पुत्र कालू
11. ग्यारसीलाल पुत्र कालू
12. श्रीमती जनकू देवी पत्नी स्व. श्री रामनाथ
13. लादूराम पुत्र रामनाथ

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

14. गंगाराम पुत्र दयालराम
15. राधेश्याम पुत्र दयालराम
16. नन्छीलाल पुत्र दयालराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी

17. रामसहाय
18. रामदेव
19. हनुमान सहाय
20. शंकरलाल
21. रामकरण पुत्र भम्बू

पुत्रान ओंकार — समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खटवाडा पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।

22. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री हरसहाय, जाति यादव, निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर राज.।

23. अनुश्री नाबालिग पुत्री जरिये संरक्षक एवं पिता अनूप अग्रवाल पुत्र प्रेमनारायण निवासी 92 शिवाजी चौक, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर राज.।

24. श्रीमती रचना गौड़ पत्नी श्री अवधेश कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी 6/12 इनकम टैक्स कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राज.।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.।

–प्रोफार्मा रेस्पोडेंट–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन, अपीलांट की ओर से।

2– श्री मनोज अजमेरा, रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट., न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम उनवानी प्रकरण लल्लुराम बनाम गणेशनारायण मुं. नं. 97/2012 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 ने एक दावा बाबत तकासमा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि वाके ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर की कृषि भूमि खाता नं. 18 के खसरा नम्बर 412, 413, 414, 424, 426, 429, 430, 431, 457, 758, 461, 463, 465, 473, 474, 476 कुल किता 16 कुल रकबा 4.86 हैक्ट0, खाता नं. 19 के खसरा नम्बर 437/1137, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 502, 507, 602 कुल किता 12 कुल रकबा 2.54 हैक्टै0, खाता नम्बर 20 के खसरा नम्बर 487 कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

किता 1 कुल रकबा 0.58 हैक्टै0, खाता नं. 21 के खसरा नम्बर 460, 462 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टै0, खाता नं. 22 के खसरा नं. 422, 423, कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 हैक्टै0, खाता नं. 23 के खसरा नं. 464, 466, 467, 468, 470, 471, 472 कुल किता 7 कुल रकबा 2.52 हैक्टै0, खाता नं. 24 खसरा नं. 432, 433, 435, 436 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 हैक्टै0, खाता नं. 26 के खसरा नं. 459 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्टै0, खाता नं. 27 के खसरा नं. 469 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्टै0, खाता नं. 28 के खसरा नं. 496, 497 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 हैक्टै0, खाता नं. 29 के खसरा नं. 427, 428 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 हैक्टै0, खाता नं. 30 के खसरा नं. 434, 475 कुल किता 2 कुल किता रकबा 0.03 हैक्टै0 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिनका अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है इस कारण तकासमा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली को राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 25/5/2016 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उक्त आराजी में हाल अपीलार्थी भी सह–खातेदार है किन्तु उन्हें बिना पक्षकार बनाये, बिना सुने उक्त प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जिससे व्यथित होकर धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वर्तमान जमाबन्दी आदि के पूर्णतया विपरीत होने व परवर्श होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। राजस्व अभियान में उपस्थित होने हेतु पत्रावली में प्रतिवादीगण को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये गये। कैम्प में तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर सब लोग उपस्थित रहते हैं जिनके पास राजस्व रिकॉर्ड भी वहीं उपलब्ध रहता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित करने से पहले जमाबन्दी व पक्षकारों का भी मिलान नहीं किया है चूंकि दावा तकासमा का था जिसमें कानूनन सभी सह–खातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं किन्तु उक्त प्रकरण में कई सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हुआ था हाल अपीलार्थी भी सह–खातेदार है किन्तु उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया हुआ था और ना तो प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, ना ही जवाब का अवसर दिया गया, ना ही जवाब बन्द किया गया। उक्त प्रकरण के समानान्तर ही एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अन्य प्रकरण गजानन्द बनाम गणेशनारायण भी न्यायालय श्रीमान के समक्ष लम्बित था, जिसमें वादी ने घोषणा का अनुतोष मांग रखा है जो दावा समान पक्षकारों व समान जमीन के बाबत विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया हुआ है कि वादीगण मिथ्या रूप से खातेदार बने है इन्हें विक्रय करने वाले खातेदारों ने पूर्व में ही विक्रय इकरारनामा दिनांक 02/03/1988 को हाल अपीलार्थी के पिता पन्नालाल व अन्य प्रोफार्मा व रेस्पोडेंट को कर रखा था जिस इकरारनामें की विशिष्ट अनुपालना का दावा आज भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी सह–खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार है परन्तु प्रकरण में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तथा दिनांक 7.7.2017 को गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर कुरेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतू नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को जानकारी हुई एवं दिनांक 22.7.2016 को नकल प्राप्त कर यह अपील दिनांक 26.7.2016 को प्रस्तुत कर दी गई है। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न कर दिया गया है। अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर एवं अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2016 अपास्त किया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा पत्रावली जवाब दावा में नियत थी जिसे राजस्व कैम्प में दिनांक 25.5.2016 को लिया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया गया है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित है इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2016 निरस्त की जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट दावे में पक्षकार नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने की चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रकरण को मात्र देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलान्टस द्वारा दिनांक 29.7.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह आधार लेते हुए कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार हैं इसलिए प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित कर प्रकरण में बतौर प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 के रूप में रखा जाकर प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने की इजाजत प्रदान की जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि दावा अभी प्रारम्भिक स्टेज पर ही है इस कारण किसी भी पक्ष के हकों का हनन नहीं होगा। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण अपीलान्टस द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.07.2016 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यही कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को पक्षकार संयोजित नहीं कर तथा उन्हें बिना सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। दूसरी ओर अपीलान्टस द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने के तीन दिवस पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा एक ही समय में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा दोनों में एक ही अनुतोष बाबत् विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है जो कि चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के सम्पूर्ण अवसर विद्यमान है इसलिए समानान्तर में परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में समकक्ष विधिक प्रक्रिया चालू नहीं रखी जा सकती है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं पाई जाती है।

8– अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है तथा अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 25.05.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 13–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर